हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

दशम् सत्र

बुधवार, 2 दिसम्बर, 2015/11 अग्रहायण,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) तारांकित:

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) अतारांकित:

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

   (2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

   (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15; और

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15 (31 मार्च, 2015 तक) ।

(2) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28 (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **117वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **118वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 81वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **119वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 83वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **49वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल सामान्य उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

(3) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री महेश्वर सिंह , सभापति, मानव विकास समिति , (वर्ष 2015-16),** समिति के **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(5) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का नवम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 22)

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का संशोधन करने के लिए

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23)	विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर),** चामुण्डा व डाढ (जिला कांगड़ा) क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र सीवरेज सुविधा हेतु प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर),** उप-तहसील टीहरा को पूर्ण तहसील का दर्ज़ा न देने तक इसे जनहित में उप-तहसील सरकाघाट के साथ ही रखने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा :

श्री सुरेश कुमार, चर्चा उठायेंगे कि:

"प्रदेश में बढ़ रही पशु तस्करी पर यह सदन चर्चा करे।"

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश की राजधानी शिमला की वर्तमान यातायात व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।"

(2) **श्रीमती आशा कुमारी,** प्रस्ताव करेंगी कि:

"बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

धर्मशाला-176215
दिनांक: 1 दिसम्बर, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)